

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बुचावास

अनुवान रुकमा नन्द बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 629/2025

निर्णय दिनांक 31/12/25

रुकमा नन्द पुत्र उदमीराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी गोगटिया चारणान तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—::निर्णय::—

प्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बुचावास में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 80 के खसरा नं. 552/233 तादादी 2.5669 है0, रोही ग्राम गोगटिया पट्टा चंगोई तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम रुकाराम पुत्र उदमीराम दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम रुकमा नन्द पुत्र उदमीराम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम रुकाराम पुत्र उदमीराम के स्थान पर रुकमा नन्द पुत्र उदमीराम किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः खाता संख्या 80 के खसरा नं. 552/233 तादादी 2.5669 है0, रोही ग्राम गोगटिया पट्टा चंगोई तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम रुकाराम पुत्र उदमीराम Delete कर इसके स्थान पर रुकमा नन्द पुत्र उदमीराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा श्रेय राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदशमद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/12/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बुचावास में लिखाया जाकर सुनाया गया।



*Rajendra Kumar*  
राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)